रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 1987/माघ 23, 1908
No. 59] NEW DELHI, THURSDAY, FEB. 12, 1987/MAHGA 23, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1987

अधिसूचना

सं. 42/87-सीमाशुल्क

का. आ. 75(अ):—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्थान राज्य के अलवर जिले में गांव भिवाडी को,

शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भाण्डागारण केन्द्र घोषित करता है ।

[फा. सं. 474/47/87-सी. शु. VII]

एम. माइकल, अवर सचिव
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 12th February, 1987

NOTIFICATION

No. 42/87-CUSTOMS

S.O. 75(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Bhiwadi in District Alwar in the State of Rajasthan to be a warehousing station for the purposes of setting up hundred per cent export—oriented undertakings.

[F. No. 474/47/86-CUS.VII]

M. MICHAEL, Under Secy.
Central Board of Excise and Customs

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987